# कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला– हरदा(म.प्र.)

क्रमांक/8196/खनिज/2018 हरदा,दिनांक27/07/2018

## –:: नीलामी हेतु विज्ञप्ति ::–

सर्वधारणा की जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है, कि कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला हरदा के वाहन की नीलामी के लिये सीलबंद निविदाएं जिला कार्यालय हरदा जिला हरदा पर आमंत्रित की जाती है। वाहन उसके नाम के सम्मुख दर्शाए स्थान पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगे। निविदा की शर्ते एवं निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी अवकाश के दिनो को छोड़कर अन्य किसी भी दिन कार्यालयीन समय में दिनांक 14.08.2018 को सांय 05:00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा निविदांए दिनांक 06.08.2018 से 14.08.2018 समय सांय 05:00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) हरदा में जमा की जा सकती है। निर्धारित दिनांक/समय में प्राप्त निविदाएँ दिनांक 16.08.2018 दिन गुरूवार को समय 04:00 बजे कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा के सभागृह में उपस्थित निविदादाताओं/अथवा उसके वैध प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा। वाहन का प्रकार एवं उसका ऑफसेट प्राईज निम्नानुसार है :–

| क्र. | वाहन क्रमांक | वाहन का प्रकार | मॉडल वर्ष | वाहन अवलोकन स्थान | वाहन का आफसेट मूल्य | धरोहर राशि 50 प्रतिशत् आफसेट मूल्य की |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | MP02-2764 | महेन्द्रा जीप | 1996 | एस.पी.ऑफिस के सामने, कार्यालय कलेक्टर परिसर हरदा | 22800.00 | 11400.00 |

**नीलामी की शर्ते नियम निम्नानुसार रहेगे :–**

1. वाहन जिस हालत में है, उसी हालत में सौंपा जावेगा।
2. निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नही होगी।
3. निविदा फार्म रूपये 200 प्रोसेडिंग शुल्क जिला (खनिज शाखा) हरदा में बैंक चालान के माध्यम से " मुख्य शीर्ष 0853 अलौह तथा धातुकर्म उघोग 800 अन्य प्राप्तियां लघुशीर्ष 0278 छोटे खनिजों से प्राप्तियां अर्थदण्ड एवं राजसात कारणों सहित" में जमा करे, अवकंाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में दिनांक 06.08.2018 से 14.08.2018 दिन गुरूवार समय 05:00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है।
4. वाहन की निविदा के साथ वाहन की ऑफसेट प्राईज की 50 प्रतिशत् राशि (धरोहर राशि) का **बैंक ड्रॉफ्ट कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) हरदा** के नाम से टेण्डर भाग–1 के संलग्न करना होगा। इसी प्रकार शपथ पत्र (राजस्व टिकिट/नोटरी सहित) भी टेण्डर भाग–1 के संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा। पृथक से लिफाफे में रखकर प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा मान्य नही होगी।
5. टेण्डर भाग–2 पृथक लिफाफे में बंद किया जावेगा तथा टेण्डर भाग–1 एवं भाग–2 को एक बड़े लिफाफे में रखकर टेण्डर बॉक्स में डालना होगा। आवेदक चाहे तो टेण्डर भाग–1 पूर्व में कार्यालय में जमा कर सकते है।

निरन्तर...............2

अपर कलेक्टर
जिला-हरदा

6. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कोई एक।
   - पासपोर्ट।
   - स्थायी आयकर लेख संख्या (PAN) कार्ड।
   - निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (**EPIC CARD**)
   - ड्रायविंग लाईसेंस।
   - फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
   - आधार कार्ड।
7. निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगे।
   - अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाईल फोन बिल।
   - अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
   - अधिकतम तीन माह पुराना एल.पी.जी. गैस रि–फिंगिंक की रसीद।
   - अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
   - किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
   - स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र।
   - बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका
   - आधार कार्ड ।
8. प्रत्येक सीलबंद लिफाफे के उपर शब्द **"वाहन क्रय संबंधी निविदा एवं वाहन क्रमांक"** अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वांछित आवश्यक कार्यवाही पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
10. सफल निविदाकारों की धरोहर राशि का समायोजन स्वीकृत राशि के विरूद्ध किया जावेगा तथा निविदाकारों को उनकी निविदा स्वीकृत होने के 7 दिवस के अंदर स्वीकृत अनुसार समस्त राशि का भुगतान कलेक्टर (खनिज शाखा) हरदा के पक्ष में करना होगा। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नही होगी। समयावधि में राशि जमा नही कराने की स्थिति में निविदाकार की धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
11. निविदा के किसी भी बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर, जिला हरदा का होगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना आदि समस्त कार्यवाही हेतु शुल्क स्वय ही वहन करना होगी। इस संबंध में नीलामी पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नही होगी। दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू जी.एस.टी. के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार देय होगा।
13. उपरोक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही है तथा न ही उपलब्ध कराने का विभाग का उत्तरदायित्व होगा ।
14. वाहन पर किसी संस्थान, बैंक अथवा निजी व्यक्ति के फायनेंस बावत किसी प्रकार का उत्तर दायित्व विभाग का नही होगा ।

निविदाकार उल्लेखित वाहन का अवलोकन नीलामी दिनांक के दो दिवस पूर्व वाहन के खड़े रहने के स्थल पर कर सकते है। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही हेतु जिला (खनिज शाखा हरदा को अधिकृत किया जाता है।

अपर कलेक्टर,
जिला हरदा (म.प्र.)

अपर कलेक्टर
जिला-हरदा